पूर्व दिनांक 29/03/2019 मार्च को जारी (4p10000)

//सूचना//

1. आज दिनांक 29 मार्च 2019 को स्नातकोत्तर चिकित्सा की प्रथम काउंसिलिंग आबंटन सूची जारी की गई।
2. सभी आबंटित अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2018 का अध्ययन कर ही, आगे की प्रवेश कार्यवाही करें, ताकि जटिलताओं से सुरक्षित रहें।
3. छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2018 के कुछ आवश्यक बिन्दु :—
   - I. सभी आबंटित अभ्यर्थियों को स्क्रुटनी करवाना आवश्यक है, जिसके अभाव में, वे अगले काउंसिलिंग के लिए अपात्र होंगे।
   - II. स्क्रुटनी उपरान्त अभ्यर्थी चाहें तो, प्रवेश ले सकता है अथवा स्क्रुटनी उपरान्त प्रवेश से मना कर सकता है, जिस हेतु अपना ऑनलाईन फाईल, पुराने उनके द्वारा बनाये गये पासवर्ड के अनुसार खोल कर, कम्प्यूटर में एन्ट्री करना होगा।
   - III. यदि आबंटित अभ्यर्थी प्रवेश लेता है तो आवश्यक पंजीयन शुल्क अनारक्षित रू. 25,000/— एवं आरक्षित रू. 12,500/— जमा कर, अपग्रेडेशन का लाभ द्वितीय कांउसिलिंग में प्राप्त कर सकता है।
   - IV. केन्द्रीय शासन/समिति के अनुसार यदि द्वितीय कांउसिलिंग में आबंटन उपरान्त प्रवेश नहीं लेते है तो, उनकी पंजीयन शुल्क जप्त (राजसात) हो जायेगी। इसलिए द्वितीय कांउसिलिंग में जाने के पूर्व, पंजीयन शुल्क जमा करने उपरान्त, पुनः संस्था विषय का चयन करने का अवसर उपलब्ध है, तथा ज्ञात हो कि पूर्व के भरे हुए सभी संस्था विषय का चयन शून्य हो जायेंगे। जो चयन नहीं भरेंगे वे आबंटन प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
4. द्वितीय काउंसिलिंग में, प्रथम काउंसिलिंग मे आबंटित किन्तु अप्रवेशित, आबंटित एवं प्रवेशित (सभी आबंटित अभ्यर्थियों को स्क्रुटनी कराना अनिवार्य है) तथा प्रथम काउंसिलिंग में अनाबंटित आवेदक नियमानुसार पंजीयन शुल्क जो कि अनारक्षित रू. 25,000/— एवं आरक्षित रू. 12500/— online aplication में जमा करके, सम्मिलित हो सकेंगे। द्वितीय काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त प्रवेश नहीं लेने वाले छात्र की पंजीयन शुल्क जप्त (राजसात) हो जायेगी।

   नोट :— उपरोक्त बताये गये बिन्दु नियम 2018 में सम्मिलित है। किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति में नियमों का पूर्णतः अध्ययन करें।
5. द्वितीय काउंसिलिंग में केवल वे ही उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे, जिन्होंने वांछित पंजीयन शुल्क जमा किया है तथा पूर्व के शून्य हो गये चयन में, पुनः संस्था और विषय का चयन किया है।

29/03/19

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़

आगे देखें सूचना दिनांक 12 अप्रैल 2019

Scanned by CamScanner

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी0के0एस0 भवन परिसर रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2972977, ई–मेलः cgdme.counseling@gmail.com

क्रमांक/3932-40/छात्र/संचिशि/2019 रायपुर, दिनांक 11/4/2019

//सूचना//

द्वितीय कॉउसिलिंग मेडिकल पी0जी0 2019

1. आज दिनांक 12 अप्रैल 2019 समय 2 PM (14 Hrs.) से दिनांक 20 अप्रैल 2019 समय 11:59 PM (23:59 Hrs.) तक द्वितीय कॉउसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए पूर्व से पंजीकृत आवेदक ही वांछित पंजीयन शुल्क (अनारक्षित रू. 25,000/– एवं आरक्षित रू. 12,500/–) जमा कर, आवेदन तथा संस्था चयन कर सकेंगे।

नोट :– **प्रथम कॉउसिलिंग में दिये गये संस्था, विषय चयन में दिये गये विकल्प (Option) शून्य हो चुके है।**

2. द्वितीय कॉउसिलिंग में निम्नानुसार पूर्व पंजीकृत आवेदक पात्र होंगे :–

   I. जिन्होने प्रथम कॉउंसिलिंग में आबंटन के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।

   II. ऐसे आवेदक जिनको प्रथम कॉउसिलिंग में आबंटन मिला और वे अपने दस्तावेजों की स्क्रूटनी कराई, जिसमें पात्र रहे एवं प्रवेश लेने में अनिच्छा प्रदर्शित की।

   III. ऐसे आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत है और उन्हें प्रथम कॉउसिलिंग में कोई आबंटन प्राप्त नहीं हुआ।

नोट :– प्रथम कॉउसिलिंग में आबंटित आवेदक, किन्तु जिन्होने स्क्रूटनी नहीं कराई है या स्क्रूटनी में Unfit रहे है, वे द्वितीय कॉउसिलिंग में पात्र नहीं होंगे।

3. किसी भी नियम की व्याख्या के लिए छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2018 का अवलोकन करें।

4. कॉउसिलिंग प्रक्रियॉ की जानकारी हेतु नियमित वेबसाईट www.cgdme.co.in का अवलोकन करें।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner